भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1652

शुक्रवार, 27 जुलाई, 2018/5 श्रावण, 1940 (शक)

वेतन आयोग की रिपोर्ट

1652. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रमिक वेतन आयोग की रिपोर्ट वेतन में बढ़ोतरी हेतु उनकी सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर सरकारी वित्त/खजाने पर बोझ बढ़ा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वेतन आयोग ने औसत से कम और औसत दर्जे के निष्पादन के उन्मूलन हेतु योग्य कर्मचारियों के लिए उत्पादकता संबंधी वेतन बढ़ाने का सुझाव दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप वेतन में ऐसी आवधिक वृद्धि के कारण राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी ऐसी ही मांगें करते हैं जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही वित्तीय बोझ झेल रहे राज्यों पर और बोझ बढ़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वेतन आयोग गठित करने के स्थान पर भविष्य में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन उपभोक्ताओं का वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए एक विकल्प पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)

(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव शुरुआती वर्ष में सामान्यत: अधिक स्पष्ट होता है और जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में तेजी आती है और राजकोषीय गुंजाइश बढ़ती है, यह धीरे-धीरे कम होता जाता है। पिछले केन्द्रीय वेतन आयोग अर्थात् सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते समय, सरकार ने इसका कार्यान्वयन दो वित्त वर्षों में फैला दिया है। वेतन और पेंशन से संबंधित

सिफारिशें 01.01.2016 से लागू की गई थीं, जबकि भत्तों से संबंधित सिफारिशें एक समिति द्वारा जांच के पश्चात् 01.07.2017 से लागू की गई हैं। इससे सिफारिशों का वित्तीय प्रभाव कम हो गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले छठे वेतन आयोग के विपरीत, जिसका बकाया राशि की मद में काफी प्रभाव पड़ा था, इस बार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधित वेतन और पेंशन की बकाया राशि के कारण वर्ष 2016-17 में यह प्रभाव पिछले वित्त वर्ष 2015-16 के केवल 2 महीनों का था।

(ख) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.46 में ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव किया है जो संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन स्कीम अथवा अपनी सेवा के प्रथम 20 वर्षों में नियमित पदोन्नति का बेंचमार्क हासिल नहीं कर पाए हैं।

(ग) राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधित राज्य सरकारों जो केन्द्र सरकार से संघीय रूप से स्वतंत्र हैं, के विशेष कार्यक्षेत्र में आती हैं। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारों को इस मामले में स्वतंत्र रूप से विचार करना है।

(घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

*****